संख्या- 74/2016/56/22-4-16-119(ब)2000टीसी-8(ए)

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 13 जून, 2016

विषय- जनपद न्यायालय बागपत, अमरोहा, संतकबीरनगर एवं उप कारागार, देवबन्द में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों का निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-04/नम-2-टीसी, दिनांक 01.01.2016 एवं पत्र संख्या-824/नम-2-टीसी, दिनांक 08.01.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय बागपत, जनपद न्यायालय अमरोहा, जनपद न्यायालय संतकबीरनगर एवं उप कारागार, देवबन्द में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-91/2015/402/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 29.03.2015 एवं शासनादेश संख्या-130/2015/615/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 24.06.2015 द्वारा प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन को पी0एफ0ए0डी0 द्वारा निम्न तालिका के कालम-5 में अंकित लागत पर अनुमोदित किया गया है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	निर्माण कार्यों के नाम	पुनरीक्षित प्रस्तावित/ लागत	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद न्यायालय बागपत में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष का निर्माण	रू0-45.98	रू0-43.50	रू0-2.48
2	जनपद न्यायालय अमरोहा में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष का निर्माण	रू0-45.68	रू0-43.50	रू0-2.18
3	उप कारागार देवबन्द में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष का निर्माण	रू0-28.11	रू0-25.84	रू0-2.27
4	जनपद न्यायालय संतकबीरनगर में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों का निर्माण	रू0-47.66	रू0-43.50	रू0-4.16
	योग-	**रू0-167.43**	**रू0-156.34**	**रू0-11.09**

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनपद न्यायालय बागपत, जनपद न्यायालय अमरोहा, जनपद न्यायालय संतकबीरनगर एवं उप कारागार, देवबन्द में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणनों, जिसकी अनुमोदित लागत उपरोक्त तालिका के कालम-5 में अंकित धनराशि रू0 11,09,000/-(रूपया ग्यारह लाख नौ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) पुनरीक्षित आगणन में लागत का आंकलन प्रस्तावित कार्यों एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(4) निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार एवं योगफल में वृद्वि एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-74/2016/56(1)/22-4-16-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, बागपत, अमरोहा, सहारनपुर एवं संतकबीरनगर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in